राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

पत्र संख्या 203/2010 दायर तारीख 29.04.2010

अनवान्

1. कन्हैयालाल पिता मोडा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम .... वादी

1. कानदास पिता नन्दादास जाति बैरागी उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी कल्याणपुरा हाल मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
   1.1 नन्दूबाई पत्नि कानदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   1.2 जगदीश पुत्र कानदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   1.3 राधा पुत्री कानदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामचन्द्रदास पिता नन्दादास जाति बैरागी उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी कल्याणपुरा हाल मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
   2.1 छीतर पुत्र रामचन्द्र जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापड़बड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   2.2 सोहनीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि मदनलाल जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापड़बड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   2.3 अनोप बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि मांगीलाल जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी लाम्बाखोह तहसील व जिला बून्दी (राज0)
   2.4 नन्दूबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि रूपलाल जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   2.5 प्यारी बाई पत्नि रामचन्द्र जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(फौत) विलोपित दिनांक 10.09.2025**
3. गोपालदास पिता नन्दराम जाति बैरागी उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी कल्याणपुरा हाल मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **नाम हटाया दिनांक 04.07.2019**
4. मोहनलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सुगनलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
   5.1 धापू पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   5.2 मुकेश पिता सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादी।
2. श्री जगदीश धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक : 16/09/2020

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 7 नियम 1–3 जा0दी0 विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नंबर 1, 2 व 3 के संयुक्त स्वामित्व की भूमि मौजा कल्याणपुरा खाता संख्या 105 आराजी खसरा नंबर 334, 413 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि मे से वादी ने आराजी खसरा नंबर 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मे से प्रतिवादी नंबर एक से 1/3 हिस्सा दिनांक 16–1–1979 को जरिये पंजीकृत अभिलेख के क्रय किया गया एवं विधिवत कब्जा दिया गया। प्रतिवादी नंबर एक तत्कालीन जमाबंदी विक्रय के समय मे सह काश्तकार के रूप मे प्रतिवादी नंबर 2 व 3 के साथ अभिलिखित था किन्तु मौके पर सह काश्तकारान ने भूमि का विभाजन कर रखा था। इसलिये प्रतिवादी नंबर एक ने अपने कब्जे वाला 1/3 हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया प्रतिवादी नंबर एक ने विक्रयपत्र के समय वादपत्र की चरण संख्या दो में वर्णित अपने कब्जे वाली भूमि का कब्जा वादी को सिपूर्द कर दिया जिसका विवरण विक्रयपत्र में अंकित है वादी विक्रयपत्र दिनांक 16–01–1979 से वादग्रस्त जायदाद पर काबिज चला आरहा था एवं भूमि विधिवत रूप से उपयोग उपभोग होने से वादी अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि का एकल स्वामी एवं कब्जेधारी है। आराजी नंबर 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मे प्रतिवादी नंबर एक का वादी को भूमि विक्रय करने पश्चात कोई हिस्सा एवं कब्जा शेष नही रहा। वादी प्रतिवादी नंबर एक के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं कब्जेधारी काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 2 व 3 कि आराजी नंबर 334 में वादी भी सह काश्तकार है इसलिये उन्हे अपने हिस्से तक भूमि विक्रय करने का अधिकार था एवं प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को उन्ही के हिस्से तक भूमि क्रय करने व कब्जा प्राप्त करने का अधिकार था। प्रतिवादी नंबर 4 व 5 द्वारा आराजी नंबर 334 में प्रतिवादी नंबर 2 व 3 के हिस्से की भूमि क्रय की गयी इसलिये प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को प्राप्त आराजी नंबर 334 में प्राप्त होने वाली खातेदारी 2/3 हिस्से के बराबर हैं क्योकि 1/3 हिस्से का खातेदार वादी हैं। प्रतिवादी नंबर 6 ने प्रतिवादी नंबर 4 व 5 के साथ कुसंयोजन कर आराजी नंबर 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुलिया को –अपनी खातेदारी में अभिलिखित करवा लिया जो अवैध व शून्य है क्यो कि वादी ने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को विक्रय नही किया है एवं न ही विक्रयपत्र दिनांक 16–01–1979 किसी सक्षम न्यायालय से खारिज करवाया गया है।

वादी अनुतोष चाहता है कि मौजा कल्याणपुरा स्थित कृषि भूमि आराजी नंबर 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मे प्रतिवादी नंबर 4 व 5 की खातेदारी 1/3 हिस्से तक समाप्त की जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार उसके द्वारा क्रय किये गये भाग का घोषित किया जाने को डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे । वादग्रस्त जायदाद में वादी का 1/3 हिस्सा अलग किया जाकर भूमि मिट्स एंड बाउंडस के आधार वादी एवं –प्रतिवादी नंबर 4 व 5 के मध्य विभाजित करायी जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नंबर 4 से 6 तक सादिर फरमायी जावे। वादगस्त जायदाद मे वादी के हिस्से का अन्तरण नही करने वादी को उसके हिस्से तक की भूमि पर काश्त करने से नही रोकने हेतु प्रतिवादी नंबर 4 से 6 तक को निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र तामील करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 जिस प्रकार लिखी गई है यह स्वीकार नहीं है आराजी नंबर 334 व 413 प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 3 के खातेदारी की भूमि थी किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 16–1–1979 को वादी को विक्रय नहीं किया गया है और न ही कब्जा सिपूर्द किया गया है। क्योकि इससे पूर्व ही प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को उक्त आराजी नंबर 334 का विक्रय किया जा चूका था एवं कब्जा भी प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को सिपूर्द कर दिया गया था। विधिवत रूप से उक्त आराजीयात के खातेदार प्रतिवादी नंबर 4 व 5 दिनांक 16–1–1979 से पूर्व ही हो चुके थे।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कलम नम्बर 2 गलत व मनगढन्त अंकित की गई है जो स्वीकार नहीं है विक्रय पत्र दिनांक
तथाकथीत होकर फर्जी दस्तावेज है। जो वादी द्वारा जमीन हडपने की गरज से किसी अन्य
द्वारा निष्पादित करवा दिया गया है। इसकी कोई जानकारी प्रतिवादी नंबर 1 को नहीं है। वादपत्र
नम्बर 3 गलत होकर अस्वीकार है। दिनाक 16–1–1979 को कोई विक्रयपत्र न तो निष्पादित
है और न ही कब्जा सिपूर्द किया गया है। विवादग्रस्त जायदाद पर प्रतिवादी नंबर 4, 5 का
दिनाक 29–3–1978 से लगातार चला रहा है और प्रतिवादी नंबर 4 व 5 के उपयोग उपभोग में
आराजी चली आ रही है। वादपत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी नंबर 1
दिनांक 16–1–1979 को कोई भूमि विक्रय ही नही की गई थी क्योकि उक्त आराजी दिनाक
1978 को प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 को विक्रय की जा चुकी थी और कब्जा भी 4 व 5 का हो चुका
कारण वादी का कब्जा या खातेदारी का अंकन गलत एवं अस्वीकार है। वादपत्र की कलम नम्बर
होकर अस्वीकार है। वादी विवादित आराजी का सह काश्तकार नहीं है और न ही प्रतिवादी नंबर 4
खातेदारी की उक्त भूमि मे से कोई हिस्सा या कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादपत्र की
नम्बर 6 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी नंबर 4 व 5 द्वारा सम्पूर्ण आराजी नंबर 334 क्रय की
और कब्जा भी सम्पूर्ण आराजीयात का प्राप्त हो चुका था इस कारण प्रतिवादी नंबर 4 व 5 का 2/3
ना होकर सम्पूर्ण खातेदारी की आराजीयात है और वादी का कोई 1/3 हिस्सा नही है तथाकथीत
यदि 16–1–1979 को कोई विक्रय वादी के पक्ष मे है तो वह पश्चातवृति विक्रय होने के कारण
व शून्य है। वादपत्र की कलम नम्बर 7 गलत होकर अस्वीकार है। भूमिधारी तहसीलदार द्वारा कोई
प्रतिवादी नंबर 4–5 के साथ नही किया गया है और वैध तरीके से सम्पूर्ण आराजी नम्बर 334
नंबर 4 व 5 के खातेदारी की दिनाक 29–3–1978 से विक्रय होने के कारण राजस्व अभिलेखो मे
गई है। यह अंकन अवैध व शून्य प्रभावी नहीं है। वादपत्र की कलम नम्बर 8 गलत होकर
है। वादी किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और न ही
काश्तकार घोषित किया जाने योग्य है। वादी के तथाकथित विक्रयपत्र जो प्रथम तो शून्य व अवैध
प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निष्पादित किया हुवा नहीं है दोयम वादी का विक्रय 16–1–1979 का अंकित
गया है इसके पूर्व ही दिनाक 29–3–1978 को उक्त आराजीयात प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को विक्रय की
कब्जा क्रेता को सिपूर्द किया जा चुका था। इस कारण पश्चातवृति विक्रयपत्र होने के कारण वादी
कोई अधिकार प्राप्त नहीं होकर वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादपत्र की कलम नम्बर 9 गलत होकर
कार है। चूंकि वादी विवादित आराजीयात में खातेदारी अधाकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है और
सह काश्तकार है तथाकथीत विक्रयपत्र पश्चातवृति होने के कारण सह काश्तकार घोषित योग्य भी
है। इसलिये बटवाड़ा प्राप्त करने का अधिकारी वादी न होकर बटवाडा का अनुतोष प्राप्त करने का
कारी नहीं हैं। वादपत्र की कलम नम्बर 10 गलत होकर अस्वीकार है। वादी को कोई बिनायदावा
नहीं हुवा है। वादी को दिनांक 29–3–1978 को इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी थी आराजी नम्बर
का विक्रय प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को किया जा चुका है, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 इस बाबत
है। उनकी सहमति से ही 29–3–1978 को कब्जा सिपूर्द किया जा चुका था। इन सब तथ्यो की
नकारी होने से यह कहना गलत है कि दिनांक 15–9–2002 को इस गलत अंकन की जानकारी हुई हो।
वादपत्र बेरून मियाद होने से उसको मियाद में लिया जाने के उद्देश्य से यह गलत दिनांक अंकित की
है। वादपत्र की कलम नम्बर 11 अस्वीकार हैं वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समायत योग्य न होकर वादी
वाद का आधार पश्चातवृति विक्रय पत्र होने के कारण पूर्ववृति विक्रय दिनाक 29–3–1978 को जब तक
सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त ही कर दिया जाता तब तक यह वाद राजस्व न्यायालय के समायत
योग्य नहीं है। वादपत्र की कलम नम्बर 12 अस्वीकार है। वादपत्र अंदर अवधि नहीं है। प्रतिवादी नंबर
4–5 का विक्रय 29–3–1978 होने व कब्जा 29–3–1978 से होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4–5 का
एडवर्स पजेशन हो चुका हैं और वादपत्र मियाद मे प्रस्तुत नहीं होने से खारिज योग्य है। वादपत्र की कलम
नम्बर 14 में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है वादपत्र सव्यय खारिज योग्य है ।

उक्त वादपत्र में निम्न वाद बिन्दु (तनकीयात) कायम की गयी।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नम्बर 1 – आया मौजा कल्याणपुरा स्थित आ0नं0 334 – 413 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमे से आ0नं0 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से प्रतिवादी नम्बर का 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के दिनांक 16–1–1979 के क्रय किया गया वादी अपने द्वारा क्रय शुदा भूमि का खातेदार है।

.... जिम्मेवादी

नम्बर 2 – आया वादी अपने द्वारा क्रय शुदा भूमि का खातेदार एवं कब्जेधारी काश्तकार है ...गण द्वारा वादी के एक हिस्से में की जाने वाले दखलन्दाजी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का हकदार है।

.... जिम्मेवादी

नम्बर 3 – आया वादी अपने हक हिस्से तक की भूमि का जरिये मिट्स एंड बाउंड्स के विभाजन ...हकदारी है।

.... जिम्मेवादी

नम्बर 4 – आया प्रतिवादी नंबर 4 व 5 को वादग्रस्त आराजी नंबर 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ...का विक्रय वादी से पूर्व कर चुका था उसका वाद पर क्या प्रभाव हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

नम्बर 5 – आया प्रतिवादी नंबर 4 व 5 का वादग्रस्त जायदाद पर एडवर्स पजेशन हैं

.... जिम्मे प्रतिवादी नंबर 4 व 5

नम्बर 6 – आया वादपत्र वादी अवधि पार है।

.......जिम्मे प्रतिवादी नंबर 4 व 5

नम्बर 7 – अनुतोष क्या होगा।

पत्रावली में साक्ष्यवादी में PW-1कन्हैयालाल पिता मोडा जाति धाकड़उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि ...सी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं। वादी ...दपत्र के साथ विक्रय लेख पत्र पेश किया जो प्रदर्श–1 हैं। मौजा ग्राम कल्याणपुरा की जमाबन्दी संवत् ...33 से 2036 की प्रति पेश की जो प्रदर्श– 2 हैं। मौजा ग्राम कल्याणपुरा की जमाबन्दी संवत् 2058 से ...ा की प्रति पेश की जो प्रदर्श– 3 हैं। मौजा ग्राम कल्याणपुरा की जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 की ...पेश की जो प्रदर्श– 4 हैं, प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पेश की जो प्रदर्श –5 हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने से पत्रावली को ...प्रतिवादीगण में रखा गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कल्याणपुरा की वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत् ...74–77 प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श ए–1 हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश माण्डलगढ के आदेश की ...मणित प्रति पेश की जो प्रदर्श ए–2 हैं। मूल वाद में डिक्री पेश की जो प्रदर्श ए–3 हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 कानदास पिता नन्दा जाति बैरागी उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि निवासी ...लगढ, मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, DW-2 कैलाश पिता लालुराम जाति धाकड़ उम्र 51 ...र्ष पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा एवं DW-3 मुकेश पिता सुगनलाल ...जाति धाकड़ उम्र 43 वर्ष पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये ...गये जो शामिल पत्रावली हैं।

DW-1 कानदास पिता नन्दा जाति बैरागी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरी ग्राम कल्याणपुरा में ...स्थित जमीन मोहनलाल, सुगनलाल को बेची थी मैंने कन्हैयालाल को कोई जमीन नही बेची एवं इस बाबत ...कोई लिखा पढ़ी भी नही की। यह जमीन हम तीनो भाईयों ने सहमति से बेची थी।

DW-2 कैलाश पिता लालुराम जाति धाकड़ ने अपने बयान में लिखाया कि मैं मोहनलाल, ...सुगनलाल प्रतिवादी नम्बर 4, 5 की जमीन को जानता हूं जो कल्याणपुरा में स्थित है। इनकी जमीन करीब ...साढे तीन से चार बीघा जमीन है। मेरे को जब से याद आती है। तब से ही इनको खेती करते हुए देखता ...आ रहा हूं। मैंने इस जमीन पर कन्हैयालाल वादी को कभी–भी खेती करते हुए नहीं देखा है। मैं इस जमीन ...को इसलिए जानता हूं कि इस जमीन के दक्षिण दिशा में एक खेत को छोड़ने के बाद हमारी जमीन है। ...इसलिए जानता हूँ।

उप खण्ड अधिकारी
...जिला भीलवाड़ा

DW-3 मुकेश पिता सुगनलाल जाति धाकड़ ने अपने बयान में लिखाया कि हमारी जमीन ग्राम ... में स्थित है, जिसके आराजी नं. 334 रकबा 0.6070 हेक्टेयर भूमि है जिसको मेरे पिताजी व मेरे ...जी ने खरीदी थी। खरीद की उसी समय से ही हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है मेरे पिताजी के पश्चात् वादग्रस्त जमीन में हिस्से अनुसार मेरा नाम दर्ज किया गया। मैने वादग्रस्त जमीन के नकल जमाबंदी प्रदर्श ए-1 पेश की। वादग्रस्त जमीन से कन्हैयालाल का कोई लेना-देना नहीं है। ...जी ने इसी विक्रय पत्र दिनांक 16-1-1979 के आधार पर सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड ... में प्रकरण सं. 22/2004 ई. दी. प्रस्तुत किया, जिसमे निर्णय एवं डिक्री दि. 14/11/2008 को ...या गया और कन्हैयालाल का वादपत्र खारिज किया गया। जिसके निर्णय की प्रति मैने पेश की ... अधिवक्ता वादी की आपत्ति को रिजर्व रखते हुए प्रदर्श करने की अनुमति दी गई। मैने निर्णय की ... की जो प्रदर्श ए-2 हैं डिक्री की प्रति पेश की जो प्रदर्श- ए-3 हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष चाहा गया जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादपत्र में प्रस्तुत विक्रय पत्र में वर्णित विक्रीत ... के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका हैं। जिसमें सिविल न्यायालय ...द्वारा विक्रय पत्र को वादी द्वारा सिद्ध नहीं करवाने के आधार पर वादी का वादपत्र निरस्त किया ...हैं। अब वादी ने इसी विक्रय पत्र को आधार बनाकर वादपत्र पेश किया जिसमें वादी ने अपने पक्ष ... गये विक्रय पत्र को सिद्ध नहीं करवाया हैं इस आधार पर उक्त वादपत्र खारिज/अस्वीकार किये ...योग्य हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। साथ ...वली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। ...के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादी का नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र वादी विरुद्ध ...वादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए वादपत्र में ...दिए जाते हैं कि :-

-:: आदेश ::-

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया ...कर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम कल्याणपुरा स्थित कृषि भूमि आराजी नंबर 334 रकबा 3 बीघा ...बिस्वा मे प्रतिवादी नंबर 4 व 5 की खातेदारी 1/3 हिस्ते तक समाप्त की जाकर वादी को 1/3 हिस्से ...खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने प्रस्तुत वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज/ अस्वीकार किया ...ता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 16/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ...या।

...न्यायालय मोहर

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

[न्य]ायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

[पी]ठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

[वाद] संख्या 203/2010 दायर तारीख 29.04.2010

अनवान्

कन्हैयालाल पिता मोडा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.................डिक्रीदार

बनाम

1. कानदास पिता नन्दादास जाति बैरागी उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी कल्याणपुरा हाल मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
   - 1.1 नन्दूबाई पत्नि कानदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - 1.2 जगदीश पुत्र कानदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - 1.3 राधा पुत्री कानदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामचन्द्रदास पिता नन्दादास जाति बैरागी उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी कल्याणपुरा हाल मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
   - 2.1 छीतर पुत्र रामचन्द्र जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापड़बड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - 2.2 सोहनीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि मदनलाल जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी पापड़बड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - 2.3 अनोप बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि मांगीलाल जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी लाम्बाखोह तहसील व जिला बून्दी (राज0)
   - 2.4 नन्दूबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नि रूपलाल जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - 2.5 प्यारी बाई पत्नि रामचन्द्र जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(फौत) विलोपित दिनांक 10.09.2025**
3. गोपालदास पिता नन्दराम जाति बैरागी उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी कल्याणपुरा हाल मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **नाम हटाया दिनांक 04.07.2019** कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला
4. मोहनलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सुगनलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(मृतक)**
   - 5.1 धापू पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   - 5.2 मुकेश पिता सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... मदयूनान

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 16 / 04 / 2026

डिक्री दिनांक : 16 / 04 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ ...री विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री ...रेश धाकड़ को वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** ...र जाकर हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम कल्याणपुरा स्थित कृषि भूमि ...सरा नंबर 334 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मे प्रतिवादी नंबर 4 व 5 की खातेदारी 1/3 हिस्ते तक ...क की जाकर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने प्रस्तुत वादपत्र को ...े स्तर पर खारिज/ अस्वीकार किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। ...नुसार डिक्री मुर्तिब हो।

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की ...े से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 04 वर्ष 2026 को जारी ...गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

...	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
...म्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
...म्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
...म्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
...नताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
...र्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
...स कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
...बत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
...फरिक	–		मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ